राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– ई–12/एम/नियु0/395/2016/ दिनांकः–

आदेश

विभाग में कार्यरत **श्री सुरेश चन्द, स्वीपर** कार्यालय **मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, करौली** का राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक **18.03.2016** को स्वर्गवास हो जाने पर उनकी **पत्नि** ने अपने पति की मृत्यु के समय उन पर पूर्णतः आश्रित परिवार सदस्यों जिनमें से कोई भी सदस्य नियमित आधार पर पहले से केन्द्र/राज्य सरकार अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में नियोजित नहीं है, में से अपने **पुत्र** को सरकारी सेवा में **स्वीपर** के पद पर नियोजित/नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक **11.04.16** को विहित समयावधि में प्रस्तुत किये है, जिसको **मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, करौली** ने प्रमाण पत्र क्रमांक **853 दिनांक 09.06.2016** के द्वारा **श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द, स्वीपर** को मृतक आश्रित के नियमों के अन्तर्गत आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र होने के फलस्वरूप अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने की अभिशंषा की है।

आवेदन के अनुसार **श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेश चन्द, स्वीपर** जिनकी शैक्षणिक योग्यता **8वीं** है और जिनकी जन्मतिथि 01.01.1991 **(शब्दों में एक जनवरी सन उन्नीस सौ इकरानवें वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी टोडाभीम करौली द्वारा प्रमाणित टी0सी0 प्रमाण पत्र के आधार पर)** है को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के **स्वीपर** के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन **मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, करौली** के अधीन **स्वीपर** के रिक्त पद पर किया जाता है । **परिवीक्षा की कालावधि के दौरान श्री अशोक कुमार** को राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःएफ.11(7)/एफडी/रूल्स/08 दिनांक 12.9.08 एंव एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/2013–1 दिनांक 28.6.2013 एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013 पी.टी जयपुर दिनांक 8.6.2015 राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम 2008 के शिड्यूल–4 (नियम 21) के द्वारा नियत 6670/– रूपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से **स्वीपर** के पद का नियमित पे बैण्ड 5200–20200 में ग्रेड पे 1700 अनुज्ञात किया जावेगा।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत **श्री अशोक कुमार** को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

श्री अशोक कुमार का नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापंन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें । परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान च0श्रे0 कर्मचारी सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, एंसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो इनके कोई रिश्तेदार न हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि,शैक्षणिक सम्बन्धित प्रभाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगें। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्त्तव्य पर लेंगे।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.1.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.3.04 के अन्तर्गत **श्री अशोक कुमार** पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी ।

mail ID add4ng@gmail.com, 0141-2222683

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क–2/88 दिनांक 27.2.2001 के अन्तर्गत **श्री अशोक कुमार** अपने पारिवारिक सदस्यो का उचित तौर पर भरण **पोषण** करेंगे । नियुक्ति के तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे **आश्रित** सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत **श्री अशोक कुमार** के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी ।

आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से **एक माह** की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे । इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा ।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.1(2)एफडी/नियम/06 दिनांक 13.3.06, क्रमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.3.06 क्रमांक एफ012(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.3.06 एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0(1)कार्मिक/(क–2)/2016 दिनांक 15.07.16 के प्रावधानों से शासित होगी ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर।

क्रमांकः– ई–12/एम./नियु0/395/2016/1033
दिनांक 23-12-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकि0 एवं स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर ।
2. सुयक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।
4. **वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय** ।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन– भरतपुर।
6. **मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, करौली** को भेजकर लेख है। कि **श्री अशोक कुमार** का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने एंव मृतक कर्मचारी के आश्रित सदस्यों में से मृतक कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात राजकीय सेवा में नही है की पुष्टि पश्चात ही कार्यग्रहण करायें। नोटः–सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे है (रजिस्ट्रर्ड पत्र) ।
7. श्री अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेशचन्द, स्वीपर निवासी– ग्राम पोस्ट निसूरा तह0 टोडाभीम जिला करौली।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें ।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

mail ID add4ng@gmail.com, 0141-2222683